



प्रेस नोट

दिनांक- 30.08.2022

थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया !

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जनपद कानपुर देहात में शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.08.2022 को शातिर जिलाबदर अभियुक्त रामजी शुक्ला उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र कृष्ण बिहारी शुक्ला निवासी ग्राम शेरुआ थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रामजी शुक्ला उपरोक्त को दिनांक 14.07.2022 से जिलाधिकारी महोदया जनपद कानपुर देहात द्वारा 06 माह के लिये जनपद से निष्कासित कर जिलाबदर करते हुये निर्देशित किया गया था कि यदि वह इस समयवधि के दौरान जनपद कानपुर देहात की सीमा में प्रवेश करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त रामजी शुक्ला उपरोक्त द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करते हुये जनपद कानपुर देहात की सीमा में प्रवेश करते हुये गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रामजी शुक्ला उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 178/2022 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त -

रामजी शुक्ला उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र कृष्ण बिहारी शुक्ला निवासी ग्राम शेरुआ थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 253/21 धारा 323/354/504/506 भा0द0वि0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
2. निवारक कार्यवाही संख्या 115/21 धारा 3/5 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना गजनेर कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 178/2022 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना गजनेर कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र पाल सिंह थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
2. हे0का0 123 कौशल किशोर समादिया थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
3. हे0का0 453 राजवीर सिंह थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात

मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात